

न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) बीकानेर

प्रकरण सं०.....68/2016

निर्णय दिनांक 07/12/2016

सरकार बनाम.....अमीनखां पुत्र शहरखां

प्रकरण का प्रकार: राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91

यह प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हल्का पटवारी.....जालवाली..... की रिपोर्टनुसार प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर कार्यवाही शुरू की गई ।


अप्रार्थी श्री.....अमीनखां..... पुत्र श्री.....शहरखां..... जाति.....मुसलमान  
साकिन.....जालवाली..... ग्राम.....जालवाली..... खसरा नं.....1202/1.50.....1200  
जो कि रिकार्ड में.....14.80..... भूमि दर्ज है में से.....2.50.....हे0 भूमि पर नाजायज रूप  
से कब्जा कर लिया है ।

हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-91 के तहत नोटिस जारी कर तलब किय गया । अप्रार्थी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ ।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, जिसके अनुसार हल्का पटवारी की रिपोर्ट एकदम स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया गया है ।

अतः अप्रार्थी श्री.....अमीनखां..... को नाजायज कब्जा करने पर ग्राम.....  
के खसरा नं.....1202..... रकबा.....2.50.....हे0 भूमि का सम्वत् 2073 का अतिकमी  
घोषित किया जाता है तथा लगान राशि न्यूनतम एक हेक्टेयर की कुल दर रूपये.....0.55.....  
की दर से.....2.50.....हे0 का 20 गुणा रूपये.....28/2.....अक्षरे रूपये.....अद्वैत शाज -  
तावान कायम किया जाता है तथा उक्त अतिकमी का तुरन्त.....जा.3.....भूमि से  
बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेकर तुरन्त रिपोर्ट पेश करें तथा मॉग कायमी टी.आर.को  
दर्ज करवाई जावे ।

यह निर्णय आज दिनांक.....07/12/2016..... को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों ।

  
नायब तहसीलदार(राजस्व)  
बीकानेर